

00	वाह	00	वाह
	शालिष पत्र के लिए स्टाफ अर्जी के लिए स्टाफ प्लीअर की फीस साक्षियों के लिए निवार्त व्यय आदेहिाका की गामील कमिशनर की फीस		1. वार पत्र के लिए स्टाफ 2. शालिष पत्र के लिए स्टाफ 3. प्रदर्श के लिए स्टाफ 4. पत्र पर प्लीअर की फीस 5. साक्षियों के लिए निवार्त-व्यय 6. कमिशनर की फीस 7. आदेहिाका की गामील
रुपया	प्रतिवादी	रुपया	वादीगण

वार के खर्च

अध्यापक
पदेन सहायक कलक्टर
उपखंड अधिकारी एवं
(पीठासीन अधिकारी)
(शैलेष सुराणा)

WV
26/05/16

वादी की ओर से श्री हरजी शीणा की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री बसन्तिलाल शीणा की उपस्थिति में इस वार में आज तारीख 26.05.2016 को शैलेष सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी अध्यापक के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और इसी दिनांक से श्री बसन्तिलाल शीणा के खाली सख्खा 2072-2075 के खाली सख्खा 209 पर दर्ज वादग्रस्त भूमि कुल किलो 16 रकबा 3.26 हेक्टेयर 720/0.0950, 1250/0.180, 1251/0.090, 1255/0.130, 1276/0.910, 2485/0.910 कुल किलो 7 रकबा 1.725 हेक्टेयर भूमि श्री बसन्तिलाल, नार्य, हरजी शीणा नाम शीणा हिस्सा बराबर के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी नंबर - 669/0.270, 2825/0.0650, 721/0.030, 2824/1250/0.140, 1252/0.100, 1253/0.030, 2824/0.050, 2825/2485/0.040, 2486/0.020, 2487/0.500, 2488/0.250, 2490/0.040 कुल किलो 12 रकबा 1.5350 हेक्टेयर भूमि श्री हरजी शीणा हरजा शीणा के नाम दर्ज की जावे। तदनुसार कर्तव्य प्रतिवादीगण के खर्चे पृथक-पृथक कायम किये जावे।

इसी पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

इस दिनांक आज तारीख 26.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आदेश नंबर :- 245/2015
दिनांक :- 26.05.2016
आदेश :- धारा 53-188, RT ACT 1955

1. श्री बसन्तिलाल उर्फ बसु शीणा श्री नाम शीणा,
2. श्री नार्य शीणा श्री नाम शीणा
3. श्री हरजी शीणा श्री नाम शीणा
4. राजस्थान राज्य जस्टिस शैलेष सुराणा

1. श्री हरजी शीणा हरजा शीणा,
निवासी चौराई, गडकील अध्यापक

उत्तर

अन्तिम अधिकारी :- शैलेष सुराणा (RAS)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अध्यापक

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

मूल वार में इसी

शैलेष सुराणा